क्रम-संख्या—16

रजि. नं. एल. डब्लू./एन. पी. 890
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2000

पौष 22, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 119/सत्रह-वि-1—1(क)-37-99

लखनऊ, 12 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 11 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह पहली अक्टूबर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:—

"(1) उप नगर प्रमुख, यथास्थिति, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् या नगर प्रमुख की पदावधि समाप्त हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र; निर्वाचित किया जायगा।"

धारा 50 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(2-क) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, धारा 12 के अधीन उप नगर प्रमुख के निर्वाचन के लिये एक या उससे अधिक दिनांक नियत करेगी और सभासदों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उप नगर प्रमुख का निर्वाचन करने के लिये आहूत करेगी।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

4—इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 50 के उपबन्ध ऐसे उप नगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, जिसका पद इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को उसकी पदावधि के समाप्त होने के कारण रिक्त रहा हो और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कोई ऐसा आदेश या अधिसूचना, जिसमें ऐसी रिक्ति को भरने के लिये निर्वाचन हेतु एक या उससे अधिक दिनांक नियत किया गया हो, विखण्डित हो जायगी मानो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 119(2)/XVII-V-1—1 (KA)-37-99

Dated Lucknow, January 12, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 11, 2000.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. Act No. 7 of 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 1, 1999.

(44)

Amendment of section 12 of U. P. Act no. 2 of 1959

2. In section 12 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The Up Nagar Pramukh shall be elected, as soon as may be, after the election of sabhasads has been completed, or, as the case may be, after the expiry of the term of office of Up Nagar Pramukh."

Amendment of section 50

3. In section 50 of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(2-A) The State Government shall, in consultation with the State Election Commission, by notification published in the Official *Gazette*, appoint date or dates for election of the Up Nagar Pramukh under section 12 and call upon the sabhasads to elect the Up Nagar Pramukh in accordance with the provisions of this Act."

Transitory Provision

4. The provisions of section 50 of the principal Act as amended by this Act shall also apply with respect to the election of the Up Nagar Pramukh, whose office has been vacant, due to the expiry of his term of office, on the date of the commencement of this Act and any order or notification issued by the State Election Commission appointing date or dates for the election to fill such vacancy, shall stand rescinded as if the provisions of the principal Act as amended by this Act were in force at all material times.

Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 19 of 1999

5. (1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

Y. R. TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 249 सा० विधा०—(1838)—2000—850 (मेक)।